



नेपाल हिंसा में पत्नी खोने वाले शख्स ने मांगा 100 करोड़ का मुआवजा... दिल्ली हाई कोर्ट बोला- हम यह तय नहीं कर सकते

अंकिता भंडारी हत्या: सीएम धामी के इस्तीफ़े, सीबीआई जांच में उन्हें शामिल करने की मांग

स्वतंत्र प्रभावत संवाददाता

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को नेपाल में पिछले साल हिंसक Gen- Z विरोध प्रदर्शनों के दौरान अपनी पत्नी की मौत के लिए 100 करोड़ के मुआवजे की मांग करने वाले एक शख्स की याचिका पर सुनवाई करने के अपने अधिकार क्षेत्र पर शक जताया। जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने मामले की सुनवाई की और सवाल किया कि याचिका में मांगी गई राहत पर कोर्ट कैसे दे सकता है, क्योंकि यह घटना नेपाल में हुई थी। कोर्ट ने कहा कि हम यह सब कैसे तय कर सकते हैं? नेपाल में कुछ होता है, होटल ने आपसे कुछ करने के लिए कहा। हम ये कैसे तय कर सकते हैं? दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई 26 फरवरी तक के लिए टाल दी। दरअसल, यह याचिका रामबीर सिंह गोला नाम के एक शख्स ने दायर की थी, जिसमें भारत सरकार और हयात होटल से मुआवजा और सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की थी। नेपाल में हुए Gen- Z के विरोध प्रदर्शन के दौरान रामबीर सिंह गोला की पत्नी, राजेश गोला की मौत काठमांडू के हयात रिजेंसी होटल के अंदर फंस्ने के कारण हो गई थी। दंपति 7 सितंबर, 2025 को पशुपतिनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए नेपाल गए थे। आरोपों के मुताबिक, काठमांडू में हिंसा बढ़ने पर, होटल ने कथित तौर पर मेहमानों को

सुरक्षा का भरोसा दिया और चेक आउट करने से मना कर दिया, और उन्हें ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए मना किया।

Gen- Z हिंसा में हुई थी पत्नी की मौत

9 सितंबर को इसरजेंसी में मदद पूरी तरह से फेल होने के बीच भीड़ ने कथित तौर पर होटल में आग लगा दी। रामबीर गोला का आरोप है कि भारतीय अधिकारियों को मदद के लिए कॉल करने के बावजूद, कोई मदद नहीं आई और भागने की कोशिश में गिरेने से उनकी पत्नी की मौत हो गई। गोला ने अपनी याचिका में कहा कि हिंसक भीड़ के हमले और आग के दौरान काठमांडू में भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय की पूरी तरह से निष्क्रियता का फोलना था, जबकि बार-बार मदद के लिए फोन किए गए थे।

याचिका ने क्या-क्या कहा गया है?

याचिका के मुताबिक, यह मामला अपने नागरिकों की रक्षा करने की राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी का उल्लंघन है। याचिका में आगे कहा गया कि हयात रिजेंसी काठमांडू का व्यवहार, झूटे सुरक्षा आश्वासन देना, आपातकालीन प्रोटोकॉल की कमी, और मेहमानों को छोड़ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(11) और 2(47) के तहत सेवा में घोर कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिका में संवैधानिक महत्व के मुद्दे उठाए गए हैं, जिसमें विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों को उपलब्ध अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) सुरक्षा भी शामिल है। वकील ने कहा कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जो अनुच्छेद 21 के अधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। विपना कन्वेन्शन कहता है कि (नागरिकों की) सुरक्षा सुनिश्चित करना दूतावासा का काम है। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि

याचिकाकर्ता ने हयात रिजेंसी को रिट याचिका में एक पक्ष बनाया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि आपको अपनी अर्जी में बदलाव करना होगा। मौजूदा रूप में, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह अपनी अर्जी कुछ खास प्रार्थनाओं तक ही सीमित रखेंगे और जहां तक मुआवजे का सवाल है, एक सिविल केस फाइल किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने भारतीय दूतावास पर उठाए सवाल

याचिकाकर्ता का कहना है कि हिंसक भीड़ के हमले और आग के दौरान, बार-बार मदद की अपील के बावजूद, काठमांडू में भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय की पूरी तरह से निष्क्रियता दिखाई। मुआवजे के अलावा, गोला ने हयात रिजेंसी काठमांडू में घटनाओं के क्रम और होटल में फंसे लोगों की मदद करने में भारत सरकार की कथित विफलता की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय न्यायिक आयोग गठित करने के निर्देश मांगे हैं। याचिका में संवेदनशील देशों में भारतीय पर्यटकों के पंजीकरण और ट्रैकिंग को अनिवार्य करने, दोषी अधिकारियों के खिलाफ अग्रशासनात्मक कार्रवाई, और घटना से संबंधित सभी सबूतों की सुरक्षित रखने के निर्देश मांगे गए हैं।

स्वतंत्र प्रभावत संवाददाता

नई दिल्ली- देहरादून में रविवार (8 फरवरी) को हुई एक महापंचायत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के कथित गलत तरीके से निपटारे को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पद से हटाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। मालूम हो कि 19 वर्षीय अंकिता भंडारी पीड़ी गढ़वाल के एक रिजॉर्ट में काम करती थीं और 18 सितंबर 2022 में उनकी इसलिए हत्या कर दी गई थी, क्योंकि कथित तौर पर उन्होंने किसी वीआईपी मेहमान को 'विशेष सेला' (सेक्स वर्क के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द) देने से इनकार कर दिया था। रिजॉर्ट के मालिक और भाजपा के निकृसित नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य और उनके स्टाफ सदस्यों- सौरभ भास्करी और अंकित गुप्ता को अंकिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जनवरी में धामी ने इस मामले में एक वीआईपी की संलिप्तता के आरोपों के चलते सीबीआई जांच के आदेश दिए थे - कहा जा रहा है कि वह वीआईपी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गोमय हैं।

महापंचायत

अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा बुलाई गई इस महापंचायत में 40 संगठनों से जुड़े 500 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। डंडिया गढबंधन की राजनीतिक

पाटियों ने भी इस सभा को अपना समर्थन दिया। महापंचायत में पास किए गए प्रस्तावों में धामी को हटाने और पिछले महीने आदेश दी गई सीबीआई जांच में उन्हें शामिल करने की मांग प्रमुख रही। महापंचायत के जरिए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी भेजा गया। महापंचायत ने पद्य भूषण से सम्मानित अनिल जोशी द्वारा दायर उस अलग एफआईआर को रद्द करने की भी मांग की, जिसमें मामले में कथित तौर पर शामिल वीआईपी के खिलाफ जांच की मांग की गई थी। पर्यावरणविद् अनिल जोशी, जो 'हिमालयन एनवायरनमेंटल स्टडीज़ एंड कंजरवेशन ऑर्गेनाइजेशन' चलाते हैं, ने इस साल 9 जनवरी को इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई थी - उसी दिन जब सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। इसे मामले में कथित तौर पर शामिल वीआईपी को बचाने की कोशिश के तौर पर देखा गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जोशी की एफआईआर के पीछे के मकसद पर सवाल

उठाते हुए कहा कि सरकार-प्रयोजित सीबी व्यक्तिके आधार पर होने वाली जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती।

रविवार को पारित प्रस्तावों में यह भी मांग की गई कि सीबीआई जांच जोशी की एफआईआर के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा, 'मैंने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देकर सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज की नियरानी में जांच कराने की मांग की थी। लेकिन डॉ. अनिल जोशी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिसने मेरा कोई संबंध नहीं है।' भंडारी ने मामले में कॉल रिकॉर्ड की भी जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा, 'आगर मेरी बेटी नहीं थुकी, तो मैं कैसे झुक सकता हूं?' कांग्रेस नेता सुयंकत घग्गसाना ने नई एफआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा था, 'इस नई एफआईआर की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अंकिता भंडारी मामला उस मूल एफआईआर के तहत चलता है, जो शुरू में लक्ष्मणझुला थाने में दर्ज की गई थी। उसी एफआईआर की जांच हुई, फिर चार्जशीट दाखिल हुई और कोटद्वार की सेशंस कोर्ट में मुकदमा चला, जिसके बाद तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया।' ज्ञात हो कि मार्च 2025 में कोटद्वार की एक जिला अदालत ने रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उनके दो सहायकों सौरभ भास्करी और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराया था।

नहीं हो सकती।

रविवार को पारित प्रस्तावों में यह भी मांग की गई कि सीबीआई जांच जोशी की एफआईआर के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा, 'मैंने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देकर सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज की नियरानी में जांच कराने की मांग की थी। लेकिन डॉ. अनिल जोशी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिसने मेरा कोई संबंध नहीं है।' भंडारी ने मामले में कॉल रिकॉर्ड की भी जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा, 'आगर मेरी बेटी नहीं थुकी, तो मैं कैसे झुक सकता हूं?' कांग्रेस नेता सुयंकत घग्गसाना ने नई एफआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा था, 'इस नई एफआईआर की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अंकिता भंडारी मामला उस मूल एफआईआर के तहत चलता है, जो शुरू में लक्ष्मणझुला थाने में दर्ज की गई थी। उसी एफआईआर की जांच हुई, फिर चार्जशीट दाखिल हुई और कोटद्वार की सेशंस कोर्ट में मुकदमा चला, जिसके बाद तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया।' ज्ञात हो कि मार्च 2025 में कोटद्वार की एक जिला अदालत ने रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उनके दो सहायकों सौरभ भास्करी और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराया था।

संक्षिप्त ख़बरें

बुलडोजर की कार्रवाई से नाराज मकान मालिक ने घर में लगाई आग, चौड़ीकरण के तहत 21 मकान किए जा रहे हैं ध्वस्त

वाराणसी- उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के दालमंडी में सोमवार की दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब प्रशासन ने ध्वस्तीकरण के दौरान दबाव बनाया तो भवन स्वामी ने आग लगा दी। इसके बाद घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मौके पर नारेबाजी शुरू कर दी और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने 'वापस जाओ, वापस जाओ' के नारे लगाए, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। नारेबाजी की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सख्त हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को फटक लगाई और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। पुलिस की सख्ती के बाद क्षेत्र में स्थिति को नियंत्रण में लिया गया, हालांकि कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

दरअसल, दालमंडी में प्रशासन द्वारा कुल 21 मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के दौरान एक युवक ने कथित तौर पर विरोध स्वरूप अपने घर में आग लगा ली। आग लगने की घटना से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई, हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। पुलिस ने बताया कि आग लगाने वाले युवक की तलाश की जा रही है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना के बाद दालमंडी क्षेत्र में पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है।

प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि वाराणसी के दालमंडी में चौड़ीकरण के तहत 21 मकानों जिला प्रशासन के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है।

याचिकाकर्ता ने हयात रिजेंसी को रट याचिका में एक पक्ष बनाया था. कोर्ट ने टिप्पणी की कि आपको अपनी अर्जी में बदलाव करना होगा. मौजूदा रूप में, मैं ऐसा नहीं कर सकता. इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह अपनी अर्जी कुछ खास प्रार्थनाओं तक ही सीमित रखेंगे और जहां तक मुआवजे का सवाल है, एक सिविल केस फाइल किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने भारतीय दूतावास पर उठाए सवाल

याचिकाकर्ता का कहना है कि हिंसक भीड़ के हमले और अंग के दौरान, बार-बार मदद की अपील के बावजूद, काठमांडू में भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय की पूरी तरह से निष्क्रियता दिखाई. मुआवजे के अलावा, गोलाना के हिंसा रिजेंसी काठमांडू में घटनाओं के क्रम और होटल में फंसे लोगों की मदद करने में भारत सरकार की कथित विफलता की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय न्यायिक आयोग गठित करने के निर्देश मागे हैं. याचिका में संवेदनशील देशों में भारतीय पर्यटकों के पंजीकरण और ट्रैकिंग को अनिवार्य करने, दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, और घटना से संबंधित सभी सच्चातों को सुरक्षित रखने के निर्देश भी मांगे गए हैं।

नई दिल्ली- देहरादून में रविवार (8 फरवरी) को हुई एक महापंचायत ने अँकित भंडारी हत्याकांड के कथित गलत तरीके से निपटारे को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पद से हटाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया. मालूम है कि 19 वर्षीय अँकित भंडारी पौड़ी गढ़वाल के एक रिजॉर्ट में काम करती थीं और 18 सितंबर 2022 में उनकी इसलिए हत्या कर दी गई थी, क्योंकि कथित तौर पर उन्होंने किसी वीआईपी मेहमान को 'विशेष सेवाएं' (सेक्स वर्क के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द) देने से इनकार कर दिया था. रिजॉर्ट के मालिक और भाजपा के निष्कासित नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य और उनके स्टाफ सदस्यों- सौरभ भास्कर और अँकित गुप्ता को अँकित की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जनवरी में धामी ने इस मामले में एक वीआईपी की संलिप्तता के आरोपों के चलते सीबीआई जांच के आदेश दिए थे - कहा जा रहा है कि वह वीआईपी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गोतमा हैं।

महापंचायत

अँकित न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा बुलाई गई इस महापंचायत में 40 संगठनों से जुड़े 500 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया. इंडिया गठबंधन की राजनीतिक



उठते हुए कहा कि सरकार-प्रायोजित किसी व्यक्ति के आधार पर होने वाली जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती।

रविचार को पारित प्रस्तावों में यह भी मांग की गई कि सीबीआई जांच जोशी की एफआईआर के आधार पर नहीं की जानी चाहिए. अंकिता के पिता वॉरेंट भंडारी ने कहा, 'मैंने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देकर सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की थी. लेकिन डॉ. अनिल जोशी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है.' भंडारी ने मामले में कॉल रिकॉर्ड की भी जांच कराने की मांग की. उन्होंने कहा, 'आगर मेरी बेटी नहीं झुकी, तो मैं कैसे झुक सकता हूँ?' कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने नई एफआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा था, 'इस नई एफआईआर की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अंकिता भंडारी ममलूत उस मूल एफआईआर के तहत चलता है, जो शुरू में लक्ष्मणझुला थाने में दर्ज की गई थी. उसी एफआईआर की जांच हुई, फिर चार्जशीट दाखिल हुई और कोर्टद्वारा की सेशंस कोर्ट में मुकदमा चला, जिसके बाद तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया.' ज्ञात हो कि मई 2025 में कोर्टद्वारा की एक जिला अदालत ने रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उनके दो सहायकों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराया था।

जमीन रजिस्ट्री को लेकर

बस्ती से गायब हुआ था दारोगा, 4 दिन बाद अयोध्या की सरयू नदी में मिली लाश... रहस्यमयी मौत पर उठे सवाल

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से चार दिन पहले रहस्यमयी ढंग से लापता हुए दरोगा अजय गौड़ का अंततः दुःखद अंत हो गया। सोमवार को उनका शव अयोध्या जिले के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत तिहुरा माझा में सरयू नदी (घाघरा) के जलस्तर के पास बरामद हुआ। जैसे ही शव की शिनाख्त लापता सब-इंस्पेक्टर के रूप में हुई, पूरी पुलिस महकमे और उनके परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। दरअसल, परशुरामपुर थाने में तैनात एसआई अजय गौड़ 5 फरवरी को अचानक लापता हो गए थे। उनकी लावारिस कार बस्ती के अमहट डाक चौकी के पास कुआनो नदी के किनारे खड़ी मिली थी। गाड़ी के अंदर से कुछ सामान बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कुआनो नदी में गीताखोरां की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली।

अयोध्या कैसे पहुंच गया शव

जांच के दौरान पुलिस को बस्ती मुख्यालय के कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले थे, जिसमें दरोगा की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी।

सवाल ये उठता है कि अगर वह मुख्यालय तक सुरक्षित थे और उनकी गाड़ी कुआनो नदी (बस्ती) के किनारे मिली, तो वो अयोध्या की सरयू नदी तक कैसे पहुंचे? क्या उन्हें वहां ले जाया गया या वह स्वयं वहां तक गए, यह जांच का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। अयोध्या कोतवाल ने जैसे ही शव मिलने की सूचना बस्ती पुलिस को दी, आला अधिकारी मौके पर रवाना हो गए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पोस्टमार्टम के बाद खुलेगा राज

पुलिस अफसरों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत पानी में डूबने से हुई है या इसके पीछे कोई और वजह है। मृतक दरोगा के परिजनों का आरोप है कि अजय गौड़ जैसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के साथ कुछ अनहोनी हुई है। गायब होने से लेकर शव

मिलने तक की कड़ियाँ आपस में नहीं मिल रही हैं। पुलिस महकमे के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती है कि आखिर उनके एक-होनाहार साथी की जान किन परिस्थितियों में आई. एश्विनल एसपी श्यामाकांत ने बताया कि दोगा अजय गौड़ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हम सीसीटीवी और सल्वेंस की मदद से कड़ियों को जोड़ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी परीक्षणों के आधार पर जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

दारोगे के भाई ने खोला मोर्चा
 इस घटना क्रम में स्थानीय पुलिस की जाँच-परावही को लेकर अमृतक दुशगा के भाईआरव कुमार गोए एडीएम झांसी ने मोर्चा खोल दिया है, एसपी और डीआईजी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एडीएम खुद अजीब धरने पर बैठ गए हैं। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर उन्हें मनाने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जबकि एडीएम का आरोप है कि उनके भाई को खोजबीन में ढिलाई बरती गई और लाश मिलने के बाद एसपी और डीआईजी अपने मृत दारोगा को देखने तक नहीं आए, उन्होंने मांग की है कि उनके भाई ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उनकी हत्या हुई है और इस मामले में एफआईआर दाय होनी चाहिए।

कानपुर में फर्जी GST गिरोह का भंडाफोड़...क्राइम ब्रांच ने किया 2.66 करोड़ टैक्स चोरी का खुलासा

क्राइम ब्रांच ने गिरोह का सरगना व उसका एक साथी अरेस्ट कर लिया है। बोगस कंपनियों के जरिए सरकार को बल लोग चूना लगा रहे थे। डीसीपी क्राइम प्रबल कुमार सिंह ने बताया कानपुर से लेकर यूपी तक हिंसा जिलों में फर्जी जीएसटी गिरोह सरकार से करोड़ों रुपए की ठगी को अजामद दे रहा था।

आरोपियों के पास से कई दस्तावेज बरामद

कल्याणपुर थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मामले की जांच जब क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर की गई तो क्राइम ब्रांच की जांच में चौकाने वाले खुलासे हुए। कानपुर क्राइम ब्रांच ने केस का खुलासा करते हुए दो शांति अभियान बारा आदर्श नरते के रहने वाले सीए कमल गौरव साहू और रायबतपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले आज एतेशाम हुसैन को अरेस्ट किया है। पुलिस को अन्य कई फर्मों के हम डिनग्री भी मिले हैं।

क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के पास से बैंक कार्ड एंड्रॉयड व आईफोन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ई व विल फर्जी इन्वॉइस और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद करेंगे।

**गुनाव केस: कुलदीप सेंगर को S C से राहत नहीं,
दिल्ली H C को 3 महीने में फैसले का आदेश**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लल्लू हाईकोर्ट से कहा है कि बीजेपी के पूर्व जिला कुलदीप सिंह सेंगर को उस अपील पर लल्लू सुनवाई की जाए, जिसमें उन्होंने अपनी राजा को चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस पर तीन महाने के भीतर फैसला सुनाया जाना चाहिए, दरअसल, सेंगर ने हाईकोर्ट के से फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 10 साल की जेल की सजा से राहत देने से मना कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इंकार कर दिया है, यानी उन्हें पिलहाल जेल ही रहना होगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर पीड़ित परिवार ने भी कोई अपील दायर की तो उस पर और सेंगर की याचिका पर कोर्ट एक साथ सुनवाई करे। यह मामला लल्लू रूप से उन्नाव दुर्घटना पीड़िता के पिता की निजि हिरासत में हुई मौत से जुड़ा है, जिसमें सेंगर को दोषी ठहराया गया है।

‘मीडिया ट्रायल’ को बर्दाश्त नहीं करेंगे- CJJ

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे अदालत के बाहर चल रहे ‘मीडिया ट्रायल’ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीजेआई ने

संभल हिंसा केस: क्या रद्द होगा अनुज चौधरी पर FIR का आदेश? इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई

उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा केस मामले में एएसपी अनुज चौधरी सहित 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. उन याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई होगी. उत्तर प्रदेश सरकार एवं एएसपी अनुज चौधरी ने अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं और सोमवार को सौंभल के सीजेएम कोर्ट के 9 जनवरी को पारित आदेश को चुनौती दी गई है. कोर्ट ने अनुज चौधरी सहित 20 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया. सीजेएम चंद्रौसी लाला संभल द्वारा 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार और अनुज चौधरी ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर चुनौती दी है. 24 नवंबर 2024 को संभल हिंसा के दौरान मोहम्मद आलम पर गोली चलाने के आरोप पर सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. चंद्रौसी संभल के तत्कालीन सीजेएम विभांशु सुधीर ने अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिस कर्मियों पर

कुमार चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर एवं अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

अनुज चौधरी पर हार दर्ज करने के आदेश को चुनौती

अनुज चौधरी पदेन्तित कर दी गई है। वह फिलहाल फिरोजाबाद में एसपी के पद पर हैं, जबकि आदेश देने वाले सीजेएम का भी तबखाल हो गया है। वह फिलहाल सुल्तानपुर में तैनात हैं। जस्टिस समित गोपाला की सिंगल बेंच में आज इस मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले 2 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अगली तारीख 9 फरवरी निश्चित की थी। यूपी सरकार की ओर से दायर याचिका में शिकायतकर्ता यामीन को प्रतिवादी बनाया गया है। दूसरी ओर, एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में आरोपी मोहम्मद आलम को पहले ही 25 फरवरी तक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। अब सभी की निगाहें आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट संभल कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश के खिलाफ याचिका पर क्या राय देता है?

संक्षिप्त खबरें

झरेखापुर में आज लगेगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

स्त्री, हृदय व हड्डी रोग की जांच व दवाई मुफ्त, वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड भी बनेंगे

हेल्थ कैंप/फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग दिन (सोमवार) - 09/02/2026 स्थान - झरेखापुर बजार, प्रताप नगर, गौरी गंगा, सीतापुर स्त्री रोग, हड्डी रोग, हृदय रोग, रक्तचाप, रक्तशर्करा, रक्तचाप, रक्तचाप, रक्तचाप द्वारा निशुल्क परामर्श

सीतापुर(ब्यूरो) जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एवं श्री पीतांबर शिक्षा समिति के सौजन्य से पारा सराय स्थित के 0 पी0 सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन सोमवार 09 फरवरी को किया जाएगा। यह शिविर झरेखापुर चौराहा, बाजार में प्रातः 10 बजे से आयोजित होगा। चिकित्सा शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्त्री रोग, हृदय रोग, हड्डी रोग सहित अन्य सामान्य रोगों की निःशुल्क जांच, परामर्श एवं दवाई प्रदान की जाएगी। आयोजन समिति के अनुसार शिविर का उद्देश्य ग्रामीण एवं कम्पाई क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। शिविर के दौरान 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, वहीं अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए भी आयुष्मान कार्ड पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आयोजकों ने क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य की जांच अवश्य कराएं।

तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने भिड़त में दो की मौत, दो गंभीर ई-रिक्शा बचाने में हुआ हादसा, बाइकों के उड़े परखच्चे

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के बांदा-बहराइच मार्ग पर शोभवापुर गांव के पास रविवार को तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने-सामने भिड़त हो गई। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सरेनी थाना क्षेत्र के रावतपुर कला गांव निवासी रामप्रसाद (32), अपने चचेरे भाई तेज बहादुर (28) पुत्र छेदीलाल तथा मंगा खेड़ा मजरे सेमरगढ़ा गांव निवासी धुन्वर (30) पुत्र रामनाथ के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर दो सड़क की ओर जा रहे थे। इसी दौरान खीरो थाना क्षेत्र के पाहो गांव निवासी महेंद्र सिंह (55) पुत्र रामराज सिंह, गैंगारों गंगा घाट पर अंतिम संस्कार में शामिल होकर बाइक से वापस लौट रहे थे। शोभवापुर गांव के पास एक ई-रिक्शा को बचाने के प्रयास में दोनों बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महेंद्र सिंह और तेज बहादुर को मृत घोषित कर दिया। रामप्रसाद और धुन्वर की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि पंचायतनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

बेकाबू ई-रिक्शा ने पैदल जा रही महिला को मारी टक्कर, दर्दनाक मौत

लालगंज रायबरेली। कोतवाली क्षेत्र के पिलखा (बरवाताली) गांव में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में पैदल सड़क पार कर रही महिला की मौत हो गई। पीछे से आ रहे बेकाबू ई-रिक्शा ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतका की पहचान गांव निवासी भानुमती (55) पत्नी जगतपाल के रूप में हुई है। रविवार सुबह घर से पैदल काम पर जा रही थीं। तभी गांव के पास ही पीछे से तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि भानुमती सड़क पर औंधे मुंह गिर पड़ीं। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक लिखा-पढ़ी के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला को असमय मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पति जगतपाल, बेटे राहुल, सुनील और बेटा लक्ष्मी का रे-रेकर बुरा हाल है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, मामले की जांच की जा रही है।

आवश्यक सूचना

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम फजील खान पुत्र नईम खां निवासी ग्राम भुसेला पोस्ट गौरिया झाल तहसील लहरपुर जनपद सीतापुर है मेरे सभी प्रमाणपत्रों में मेरा नाम फजील खान है किन्तु टुटिविषा ड्राइविंग लाइसेंस में मेरा नाम जलील खान अंकित हो गया है जो गलत है। मेरा नाम फजील खान है जो कि सही है मुझे फजील खान के नाम से जाना पहचाना जाये।

जली रोटी मिलने पर गर्भवती को पीटा बेटी को बचाने आई मां को बेरहमी से पीटा, अस्पताल में भर्ती पुलिस जांच में जुटी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में खाने के दौरान जली रोटी देने जैसी मामूली बात को लेकर गर्भवती नवविवाहिता के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने और जिंदा जालाने की कोशिश का आरोप लगा है। मामला थाना लहरपुर क्षेत्र के मुशियाना मोहल्ले का बताया जा रहा है। पीड़िता ने अपने पति समेत ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं बताया जाता है कि पीड़िता फरजाना की शादी मुशियाना मोहल्ले के रहने वाले अंसार अहमद से करीब 9 महीने पहले हुई थी। वर्तमान में वह पांच महीने की गर्भवती है पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। आए दिन मारपीट और मानसिक उत्पीड़न का सिलसिला चलता रहा, लेकिन सामाजिक दबाव के चलते वह सब सहन करती रही। पीड़िता के अनुसार घटना दर रात की है, जब



उसका पति खाना खा रहा था। इसी दौरान रोटी हल्की सी जल गई, जिस पर पति अंसार अहमद ने आपा खो दिया। आरोप है कि पति के साथ उसकी दो नन्हीं सीमा और रुकसाना भी मारपीट में शामिल हो गईं। तीनों ने मिलकर गर्भवती महिला को बेरहमी से पीटा और बाद में उस पर डीजल डालकर आग लगाने की कोशिश की।

किसी तरह जान बचाकर पीड़िता अपने मायके पहुंची, जहां पति ने वहां भी उसके साथ मारपीट की। विरोध करने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने पीड़िता की मां के साथ भी

एसबीआई लाइफ द्वारा जेपीएस किड्स प्ले पब्लिक स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन



● प्रतियोगिता में टॉप छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत कर वितरित किए गए सर्टिफिकेट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायबरेली.. गुरुब्रह्मा गंज स्थित सीएस सी बाल विद्यालय (जेपीएस किड्स प्ले पब्लिक स्कूल) में आज एसबीआई लाइफ द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का भव्य आयोजन टॉप छात्राओं को पुरस्कृत करते हुए सर्टिफिकेट वितरण किया गया विद्यालय के संरक्षक अशोक शुक्ला , प्रबन्धक मोहित शुक्ला , डायरेक्टर रोहित शुक्ला द्वारा इस आयोजन का आरंभ किया गया, जिसमें रायबरेली बांच से सीनियर एसबीआई लाइफ बांच मैनेजर - उपेंद्र सिंह जी तथा असिस्टेंट बांच मैनेजर - अजय प्रकाश सिंह जी द्वारा इस आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व किया गया। एसबीआई लाइफ द्वारा आयोजित इस चित्रकला प्रतियोगिता समारोह में एलकेजी, एलकेजी क्रू यूकेजी, यूकेजी क्रूके बच्चों को सर्टिफिकेट व मेडल का अभिभावक समेत सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में उपस्थित विद्यालय के

डायरेक्टर रोहित शुक्ला ने बताया कि बच्चों के बीच इस तरह से विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होनी चाहिए जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और रचनात्मकता विकसित होती है तथा सभी टॉपर्स को अनंत शुभकामनाएं दीं।

इस प्रतियोगिता में उपस्थित विद्यालय की प्रधानाचार्या छवि बाजपेई ने बताया कि प्रतियोगिताएं हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें एक दिन ऊंचाई तक ले जाती है , हमें हर बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे उनका आत्म विश्वास और अभिभावकों को ढेर सारी बधाईयां दीं। साथ इस आयोजित प्रतियोगिता में कलास के टीचर्स अमिता, श्रेयांशी, आस्था, आकृति आदि शिक्षिकाओं का भी सफल योगदान लाइफ बांच मैनेजर - उपेंद्र सिंह जी तथा अंसार अहमद ने आपा खो दिया। आरोप है कि पति के साथ उसकी दो नन्हीं सीमा और रुकसाना भी मारपीट में शामिल हो गईं। तीनों ने मिलकर गर्भवती महिला को बेरहमी से पीटा और बाद में उस पर डीजल डालकर आग लगाने की कोशिश की।

मदरसा अल्लामा फ़ज़ले हक़ खैराबादी मेमोरियल कॉलेज खैराबाद में बच्चों का विदाई समारोह संपन्न

● बच्चों को शिक्षण संस्थाओं में अच्छे संस्कार दिए जाते हैं जिससे वो भविष्य अच्छा बना सकें:- एहतिशाम आलम प्रिंसिपल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

खैराबाद, सीतापुर स्थानीय मदरसा अल्लामा फ़ज़ले हक़ खैराबादी मेमोरियल कॉलेज में सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिए के विदाई समारोह का आयोजन मदरसे के गरीब नवाज हाल में आयोजित किया जिसकी अध्यक्षता संस्था संस्थापक काजिम हुसैन ने की जबकि समारोह का संचालन कुरआन पाक से किया गया तथा संस्था संचालक ने फीता काटकर समारोह कक्ष में प्रवेश किया। इसके बाद बच्चों ने नात शरीफ़ विदाई गीत और अपनी जिंदगी और शिक्षा

पर विचार भी व्यक्त किए,इस अवसर पर प्रधानाचार्य एहतिशाम आलम ने संबोधित करते हुए कहा कि बच्चा स्कूल में जब आता है तो उसे अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी दिए जाते जिन्हें ग्रहण करके अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। जबकि समारोह अध्यक्ष काजिम हुसैन ने कहा कि बच्चों ने 12 साल तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद आज बच्चे मदरसा से जा रहे हैं उन्होंने क्या सीखा इन सबका इस्तेमाल आगे कैसे करना है इतना लम्बा समय व्यतीत करने के बाद जब आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कि अपने घर का कोई बच्चा विदा हो रहा है इस लिए तकलीफ़ तो होती है लेकिन आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए तो आगे जाना ही होगा इसके बाद बच्चों को गरीब नवाज हाल में आयोजित किया और शिक्षकों को सम्मान स्वरूप प्रतीक चिन्ह भी दिए गए। ज्ञात हो कि कल 9 फरवरी से मदरसा शिक्षा परिषद की वार्षिक परीक्षाएं प्रारम्भ हो रही हैं इस लिए आज कक्षा 12 के बच्चों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया था बच्चों ने संस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए इस अवसर पर सभी बच्चियों की आंखों में आंसू धरे हुए



खेत विवाद पर किसान पर दबंगों का हमला लाठी डंडों से पीटा, सिर में आई गंभीर चोटें

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में दबंगों द्वारा जबरन खेत को ठेके पर लेकर कब्जा करने की नीयत से खेत मालिक को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। पिटाई से युवक बेहद गंभीर घायल हो गया। घटना थाना मछरेहटा क्षेत्र के भिठारा गांव की है। पीड़ित किसान अनिल अवस्थी ने मामले की शिकायत पुलिस से की है घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है पीड़ित अनिल अवस्थी के अनुसार वह सुबह अपने खेत में जोताई का काम कर रहा था। इसी दौरान गांव के ही दूसरे गांव कुछ दबंग वहां पहुंचे और खेत को ठेके पर देने की बात कहकर जबरन खेत पर कब्जा करने की नीयत से गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर दबंगों ने लाठी-डंडों से उस पर हमला कर



दिया हमला इतना बेरहमी से किया गया कि किसान गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही गिर पड़ा ग्रामीणों ने किसी तरह बीच-बचाव कर घायल किसान को दबंगों के चंगुल से छुड़ाया और तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए इलाज शुरू किया। फिलहाल किसान का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। घटना की जांच के लिए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अन्य आरोपियों की तलाश के

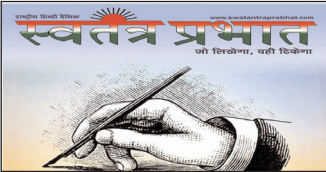
सीतापुर

होली मिलन समारोह के संबंध में नैनागढ़ महोत्सव समिति की बैठक सम्पन्न



चुनार, मीरजापुर। आगामी होली मिलन समारोह के संबंध में नैनागढ़ महोत्सव समिति की बैठक रविवार को नगर स्थित एक लान में संपन्न हुई। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। जिसमें हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन 15 मार्च को सायं 6:00 बजे साहित्य संत धाम घाट बालू घाट पर हास्य होगा। हास्य कवि सम्मेलन शीतला प्रसाद यादव, सचिव सौरभ पुजारी, व्यवस्थापक अफसर अली एवं सह व्यवस्थापक विकास कश्यप के देख रेख में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान इंजीनियर सभाजीत सिंह, अध्यक्ष दिनेश सिंह पटेल, मेजर कृपाशंकर सिंह, आदित्य गुप्ता पदयात्री, आलोक श्रीवास्तव, डॉ श्रीप्रकाश श्रीवास्तव, चंद्रहास गुप्ता अभिलाष राय, डॉ बंगलेश पाण्डेय, धीरेन्द्र सिंह , विश्वजीत, अखिलेश पाण्डेय इत्यादि उपस्थित रहे।

अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा की बैठक सम्पन्न हुई



महाराजगंज रायबरेली) में अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा की बैठक महाराजगंज नगर पंचायत सभागार में संपन्न हुई, जिसमें संगठन को मजबूत करने और समाजहित से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता महाराजगंज ब्लॉक अध्यक्ष राम जियावन लोधी ने की। इस अवसर पर जिला संरक्षक संतलाल लोधी, जिला मंत्री शत्रोहन लोधी, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार लोधी और विधानसभा सह-संयोजक/महामंत्री जय सिंह लोधी सहित कई जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से संगठन की और अधिक सशक्त बनाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया, इसके अतिरिक्त, समाज के कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर भी गहन चर्चा हुई। ब्लॉक अध्यक्ष राम जियावन लोधी ने बताया कि लोधी समाज को जागरूक करना उनका प्रमुख कार्य है और वे अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। इस मौके पर महामंत्री रामराज लोधी, महामंत्री जयकरण लोधी, महामंत्री अवधेश लोधी, संरक्षक राम शरन लोधी, उपाध्यक्ष राम लखन लोधी, उपाध्यक्ष दयाराम लोधी, शोभनाथ लोधी, रामगुलाम लोधी और बनवारी लाल सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।

विद्युत मजदूर संगठन ने भरी हुंकार, उत्पीड़न न रुकने पर ‘शक्ति भवन’ के घेराव की चेतावनी ●सविदा कर्मियों की छंटनी और मृतक आश्रितों के हक छीनने पर फूटा आक्रोश; प्रबंधन के ‘दमनकारी’ रवैये के खिलाफ उग्र आंदोलन की तैयारी।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हम्बरा अपार्टमेंट में रविवार को विद्युत मजदूर संगठन उ.प्र. की केंद्रीय कार्यावाही की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। प्रांतीय अध्यक्ष विमल चन्द्र पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं और प्रबंधन द्वारा किए जा रहे कथित उत्पीड़न पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। बैठक में संगठन ने दो टूक चेतावनी दी कि यदि प्रबंधन ने अपनी ‘कर्मचारी विरोधी’ नीतियों में सुधार नहीं किया, तो आगामी दिनों में लखनऊ स्थित शक्ति भवन पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। विरिष्ठ मजदूर नेता आर.एस. राय ने वर्तमान प्रबंधन पर निशाना साधते हुए कहा

सीएम योगी के आगमन पर सीतापुर नो-फ्लाईंग जेन घोषित, ड्रोन, गुब्बारे और पतंग उड़ानें पर दो दिन की पाबंदी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में 9 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने जिले को दो दिनों के लिए नो फ्लाईंग जेन घोषित किया है। यह आदेश रविवार से प्रभावी होकर सोमवार शाम कार्यक्रम के समापन तक लागू रहेगा। इस दौरान जिले में ड्रोन उड़ाने के साथ-साथ गुब्बारे और पतंग उड़ाने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर के शास्त्री नगर कॉलोनी स्थित तपोधाम आश्रम में आयोजित गोरखनाथ प्रतिमा स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं। कार्यक्रम घनी आबादी वाले क्षेत्र में आयोजित हो रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बत रहे हैं। किसी भी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए हर स्तर पर निगरानी की जा रही है शनिवार देर शाम अलावा सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थीं जबकि हाफिज़ मुश्री अहमद, मोहम्मद जुनेद, निकहत जहां, जकिया बेगम, रुबीना परवीन, अकील अहमद का सहयोग रहा। अन्त में कक्षा 12 और कक्षा 11 की कक्षाध्यापिका ने सभी का आभार व्यक्त किया।

युवक का मिला अधजला शव इलाक़े में फैली सनसनी, अभी मौत की वजह नहीं पता, पुलिस जांच में जुटी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर अटरिया थाना इलाके के अलबदा गांव के बाहर एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक का अधजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गांव निवासी विमलेश उर्फ मन् ू (32 वर्ष) के रूप में हुई है। युवक का शव उसके टीनशेड वाले घर से करीब 100 मीटर दूर पुआल और लिपलिट्स की पतियों के बीच पड़ा मिला। बताया जाता है कि विमलेश गांव के बाहर टीनशेड डालकर अकेले रहता था। उसके साथ परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता था। रविवार सुबह करीब 9 बजे ग्रामीणों की नजर खेत की ओर पड़ी, जहां पुआल के बीच अधजली हालत में शव देखा गया इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेराबंदी कर

विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या दो साल पहले प्रेम विवाह के बाद फंदे से झूली, पुलिस जांच में जुटी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर के रामकोट कस्बे में शनिवार देर रात एक विवाहिता द्वारा कमरे के अंदर साड़ी के फंदे से लटककर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की रामकोट कस्बा निवासी धर्मेन से करीब दो वर्ष पूर्व अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से दोनों पति-पत्नी अनेा घर पर ही रह रहे थे। देर रात धर्मेन की पत्नी सोनम (25) ने अज्ञात कारणों के चलते कमरे के अंदर साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को शक हुआ। दरवाजा खोलने पर सोनम को फंदे से लटका देख परिवार के लोग बदहवास हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रात में ही रामकोट थाना प्रभारी निरीक्षक पीयूष सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए



भेज दिया है फिलहाल आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस पारिवारिक स्थिति, आपसी संबंधों और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद कस्बे में चर्चा का माहौल बना हुआ है। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक पीयूष सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। विवाहिता के मायके पक्ष की ओर से अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और यदि किसी प्रकार की तहरीर या शिकायत मिलती है तो उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी !!



कि वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान करने के बजाय, प्रबंधन आए दिन नियम विरुद्ध आदेश जारी कर बेगुनाह कर्मचारियों को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से 25 हजार इलेक्ट्रिकल कर्मचारियों को मुद्दा उठाते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों से सेवा दे रहे इन कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाकर उनके परिवारों को भुखमरी की कगार पर धकेल दिया गया है। राय ने स्पष्ट किया कि संगठन इस अन्याय का पुरजोर विरोध करेगा और बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है।

वहीं, संगठन के मुख्य महामंत्री ने पावर कॉर्पोरेशन द्वारा मृतक आश्रितों के चतुर्थ श्रेणी पद पर सेवोयोजन समाप्त किए जाने के निर्णय को 'घातक' करार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि कई दिवंगत कर्मचारियों की पत्नियाँ स्नातक नहीं हैं या उनके बच्चे अभी छोटे हैं,



ऐसे में पेंशन की सुविधा न होने और रोजगार का हक छीनने से पीड़ित परिवार दर-दर भटकने को मजबूर हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का बीच सत्र में स्थानांतरण करना इतिहास में पहली बार हो रहा है, जो सरासर उत्पीड़न है।

इस बैठक में आलोक सिन्हा, सैयद शोएब हसन, आरसी पाल, बाबू प्रताप सिंह, इंद्रेश राय, अशोक गुप्ता, मोहन बाबू आर्य, एसके सिंह, राजीव रंजन राय, संदीप कुमार, राहुल कुमार, वेद प्रकाश राय, जितेंद्र कुमार, संतोष कुमार, विनोद श्रीवास्तव, अजय भट्टाचार्य, राम चरण, अवनीश श्रीवास्तव, आरिफ वेग, मनीष श्रीवास्तव सहित कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में प्रबंधन से मांग की कि दमनकारी आदेशों को तत्काल वापस लिया जाए, अन्याय संगठन काम रोकें आंदोलन और सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगा।

मैंस चोरी का खुलासा, चोर गिरफ्तार



भदोही। थाना ज्ञानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कलियापुर से चोरी हुई मैस के मामले में ज्ञानपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की मैस बरामद कर ली है। ग्राम कलियापुर पीपरगंज निवासी दिवाकर पुत्र शोभनाथ गौतम की तहरीर पर दर्ज मुकदमा मु0अ0सं0 30/26 धारा 303(2) बीएनएस के अन्वयर्ण में, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश एवं अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में 07 फरवरी 2026 को कार्रवाई की गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुकुरु नट पुत्र मेवा नट निवासी पुरईचतपुर बेजवां, थाना औराई को उसके घर से गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक अदद पैस बरामद की गई। नूछाछ की ओरपी ने चोरी की घटना स्वीकार की, जिसके बाद मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई। गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक रामधनी यादव, हेड कास्टेबल निरंजन मोर्य एवं कास्टेबल मारुतिनंदन दुबे शामिल रहे।



रही है। यह भी देखा जा रहा है कि घटना दुर्घटना है या इसके पीछे कोई अन्य कारण तो नहीं है आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और मृतक की गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल गांव में घटना को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी !!

